सिफारिशों
का
सारांश

सिफारिशों का सार

मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क प्राप्तियों से राजस्व में वृद्धि, कुशल राजस्व संग्रहण और राजस्व रिसाव की रोकथाम की जांच हेतु हम निम्न सिफारिशें करते है:

बकाया राजस्व

- सरकार के बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(अनु. सं. 1.8)

सम्पत्तियों का मूल्यांकन

- सरकार जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित निश्चित दरों पर सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए सभी उप पंजीयकों को निर्देश जारी करने पर विचार करें।

(अनु. सं. 2.1 से 2.2)

मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क की कमी

- सरकार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के साथ जोडी गई संशोधित अनुसूची से जो असंगत नहीं हो, के लिए सभी उप पंजीयकों को निर्देश जारी करने पर विचार करें।

(अनु. सं. 3.1 से 3.4)

लेख्य पत्रों का वर्गीकरण

- सरकार सभी उप पंजीयकों को ऐसे निर्देश जारी करने पर विचार करे कि मुद्रांक कर दस्तावेज के वर्गीकरण के आधार पर वसूल किए जायें न कि उनके शीर्षक के आधार पर।

(अनु. सं. 3.5)

लोक कार्यालयों के अभिलेख

- सरकार लोक कार्यालयों के सामने लाये गये लेख्यपत्रों के संबंध में यह सुनिश्चित करने हेतु अधिक सतर्क रहने के लिये निर्देश जारी कर सकती है कि वे उचित रूप से मुद्रांकित है और यदि नहीं तो ऐसे प्रकरणों में मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क की पर्याप्त वसूली के लिये शीघ्र कार्यवाही हेतु सूचित किया जावें।

(अनु. सं. 4)

- **सरकार लोक कार्यालयों को, उन्हें प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रकृति और संख्या की एक आवधिक विवरणी राजस्व विभाग को प्रस्तुत करने हेतु**